

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

-4-

35AA 746545

न्यास के मुख्य उद्देश्य-

यह न्यास निम्नलिखित सम्पादित करेगा-

1. ट्रस्ट प्राइमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, एवं इण्टरमीडिएट, डिग्री कालेज व उच्च शिक्षा मैडीकल शिक्षा-मेडिकल कालेज, फार्मसी कालेज (बी0 फार्मा, डी0 फार्मा, एम0 फार्मा) नर्सिंग (मेल-फीमेल), पॉलीटेक्नीक, बी0एड0, बी0टी0सी0, बी0एल0एड0 व आई. टी. आई के शिक्षालय स्थापित करना, उन्हें हर प्रकार की मदद देना, ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूलों में उत्तम शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना। भारतीय परिवेश में बालकों एवं बालिकाओं की शिक्षा
2. व्यवस्था हेतु शिक्षा संस्थायें स्थापित करना, प्रबन्ध करना एवं संचालित करना। ग्रामीण क्षेत्र में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना।
3. संस्था विभिन्न शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक संस्थानों जैसे-सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.ई., एन.ओ. एस., इग्नू, यू.जी.सी. आदि से सम्बद्धता प्राप्त करेगी आवश्यकता पड़ने पर उनका एफीलियेशन प्राप्त कर उनकी विविध योजनाओं का संचालन व प्रचार-प्रसार करेगी।
4. धर्मार्थ आयुर्वेदिक चिकित्सालयों एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियों, चिकित्सा विद्यालयों, धर्मार्थ सैनितोरियमों, नर्सिंग संस्थाओं, प्रसुति-गृहों, शिशु कल्याण केन्द्रों, प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, औषध निर्माणशालाओं, रसायनशालाओं, चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रों का निर्माण, संचालन एवं सहयोग करना।
5. प्राकृतिक योग चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करना प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से गम्भीर रोगों का निशुल्क उपचार व निदान करने के प्रयास करना।

Souindapan



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AA 746546

-5-

6. समाज के अपेक्षित लोगों जैसे अन्धे, कुष्ठ रोगी व मूक बधिरों, विकलांग व निराश्रित, लाचार वृद्धजनों के कल्याण के लिए कार्य करना, बाल आश्रम, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की स्थापना करना।
7. ब्लड बैंक की परियोजना में सहयोग देना, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराना व आपात कालीन परिस्थितियों में निराश्रित लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराना।
8. ट्रस्ट निर्घन एवं असहाय व्यक्तियों को निशुल्क आर्युवेद चिकित्सा सुविधा हेतु एक इमरजेंसी व अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र का निर्माण करायेगी।
9. निराश्रित विधवाओं, महिलाओं एवं असहाय वृद्धों के लिये आश्रम स्थलों के निर्माण के लिये भूमि देना एवं उसकी देख-रेख व व्यवस्था करना।
10. समिति के मुख्य उद्देश्यों के लिये प्रदेश भर में योजनाओं का प्रचार व प्रसार करना एवं यथासम्भव हर जनपद में इसकी शाखाएँ खोलना एवं निराश्रित लोगों की मदद के लिये संस्थान का निर्माण करना।

Sovinda Bansal



भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

35AA 746547

- 6 -

11. जनकल्याण के कार्य जैसे आपात स्थिति, भूचाल, महामारी, बाढ़, आदि के समय जन-जन तक सरकारी सहायता पहुँचाना।
12. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सरकारी, गैर सरकारी, राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय सरकार एवं व्यक्तिगत संस्थाओं एवं निकायों बैंको से दान, अनुदान, आर्थिक ऋण अथवा अन्य प्रकार की सहायताएँ प्राप्त करना तथा समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।
13. समिति, एच.आर.डी., यू.जी.सी. ग्राण्ट कमीशन, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यू.एच.ओ., रेडक्रास, बाल एवं महिला कल्याण, शिफसा, कपार्ट, नॉर्वाइ बैंक व शिक्षा विभाग आदि संस्थाओं, विभागों से आर्थिक व अन्य सहायता प्राप्त करेगी।
14. 'न्यास आयकर अधिनियम' की धारा 80-जी व 12-ए, और एफ.सी.आर.ए 35 ए0सी0 के लिए भी आवेदन करेगा।
15. महिला/कन्या छात्रावास, महिला/कन्या विद्यालय, महाविद्यालय आदि का संचालन।
16. संस्था मिन-2 कार्यों को संपादित करने के लिये उप-समितियाँ गठित करेगी जो ट्रस्ट के प्रति उत्तरदायी होगी।
17. ट्रस्ट का पता ट्रस्ट की सम्पत्ति नहीं है।

Govindaraj